

सूचना अधिकार के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु  
आवेदन पत्र का प्रस्तावित प्रारूप

सेवा में,

दिनांक- 12/04/2017

जन सूचना अधिकारी

जहाँ से सूचना प्राप्त करनी हो कार्यालय/विभाग का नाम - राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

पूरा पता : कल्यानपुर कानपुर-208017

आवेदक का नाम : जय सिंह परिहार पुत्र श्री भगवान सिंह परिहार

आवेदक का पता : ग्राम बहेटा देवांरा पो0 देवाराकलाँ, उन्नाव।

क. 0 मी. 0 30/17  
13/04/17

मांगी गयी सूचनाओं का बिन्दुवार विवरण

- 1- यह कि नरेन्द्र देव पुत्र श्री राजाराम वर्मा जो आपके कार्यालय में कनिष्ठ तकनीकी प्रौद्योगिकी के पद पर कार्यरत थे, उन्हें कब व किन कारणों से बर्खास्त किया गया, बर्खास्तगी आदेश की प्रति प्रेषित करें।
- 2- यह कि बर्खास्तगी आदेश के विरुद्ध नरेन्द्र देव द्वारा कोई वाद संस्थित किया हो उसका विवरण।

यदि सूचना किसी कार्यवाही से सम्बन्धित हो तो उसका माह एवं वर्ष अंकित करें।

वर्ष 2016

मैं आवेदक उपरोक्त सूचना एवं बर्खास्तगी आदेश की प्रति हेतु रू0 20/- का भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न कर रहा हूँ जिनके नं0- **37F 096915** व **37F 096916** दिनांक 12/04/2017 है। कृपया समयान्तर्गत सूचनायें डाक द्वारा प्रेषित करने की कृपा करें।

खसरोचा  
कृपया एलेक्ट्रॉनिक IPD  
जमा करें एवं रसीद  
जारी करें।

20/4/17

Sri Rajeev  
on 11/1/17

Jai Singh  
आवेदक का हस्ताक्षर

निदेशक का  
202

11/1/17



सं.- 25(52)/2016/RTI/75

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित संस्थान

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

भारत सरकार

फोन- 2570541, 542  
फैक्स- 0512-2570247

कानपुर, दिनांक- 08.5.2017

सेवा में,

श्री जय सिंह,  
पुत्र श्री भगवान सिंह परिहार,  
ग्राम बहेटा, पोस्ट देवाराकलां,  
उन्नाव।

जारी  
संख्या -- 446 --  
दिनांक -- 9/5/17

विषय- जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक 13.4.2017 को प्राप्त RTI आवेदन दिनांकित 12.4.2017 के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित आवेदन शुल्क रुपये 10/- मात्र ही स्वीकार किये जाएंगे। अतः आपके द्वारा भेजा गया अतिरिक्त IPO संख्या 37F 096916 दिनांक 12.4.2017 आपको मूल पत्र के साथ वापस भेजा जा रहा है।

इसी क्रम में आपके द्वारा वांछित सूचना बिंदु 1 व 2 के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि RTI एक्ट, 2005 के अंतर्गत सेक्शन 8 के अनुच्छेद (E) एवं (J) में दिए गए नियमों के अनुसार आपके द्वारा मांगी गई जानकारी देय नहीं है।

उपरोक्त सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सेक्शन 5(4) के अन्तर्गत दी जा रही है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र के जारी करने से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपील कर सकते हैं -

श्री नरेन्द्र मोहन,  
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, भारत सरकार,  
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,  
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कानपुर- 208017

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय  
जितेंद्र सिंह  
(जितेंद्र सिंह) 01/5/17

स. आ. श. प्रौ.,  
वरि. प्रशा. अधिकारी एवं  
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

0/17